न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 हरीतिमा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 72/15

डुंगरराम पुत्र लिखमाराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न. 07 सूरतगढ़

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. अपील अपीलांट भागीरथ बिश्नोई
2. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक: 28-2-20

1. यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 08.09.2006, जिसके द्वारा अपीलांटगण का आराजी काश्त का रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 496/7 का 6.325 है0 रकबा खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2006 अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के अपीलांट के 40 वर्ष पुराने आवटन को अपने ही कयासों के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आवटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर उक्त रकबा खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा 8 किमी की ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अधीनस्थ न्यायालय को मेरा उक्त टी.सी. आवटन खारिज करने का अधिकार ही नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त में चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्धति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अतः अपीलांट उक्त भूमि की खातेदारी लेने का हकदार है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व मातहत न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे।
3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई उपस्थित हुए व पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2006 अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के अपीलांट के 40 वर्ष पुरानें आवटन को अपने ही कयासों के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आवटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर उक्त रकबा खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा 8 किमी की ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

उक्त पत्रावली ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि मे है। कई अवसरो पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवटन खारिज करने मे सक्षम नही है। तहसीलदार सूरतगढ के राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला निर्णय मे दिया है वे इस मामले में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार शक्तियां कलक्टर को दी गयी है। अतः तहसीलदार को आदेश दिया जावे कि उक्त रकबा को गैरखातेदारी दर्ज किया जाकर खातेदारी सनद जारी की जावे। साथ ही अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय दिनांक 08.9.2006 खारिज किया जावे।

7. पैरोकार राज ने अपनी बहस मे कथन किया कि उक्त रकबा पैराफेरी क्षेत्र में है जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्म है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मे अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है तथा इसका रेसपोंडेट ने कोई विरोध भी नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 08.9.2006 मे यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 496/7 का 6.325 है० रकबा भूमि अपीलांटस को टी.सी. आवंटन हुई थी जो संवत् 2061 तक नवीनीकृत होती रही। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त टी.सी. आवंटन राजय सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए निरस्त की है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते, 1955 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अतर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नही होत क्यों कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटस को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प.9(25)राज. /16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों मे पैराफेरी क्षेत्र मे आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है जो कि इस प्रकरण मे लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि प ट) शर्ते 1955 के अतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है।

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय दिनांक 08.9.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) .2.2010

(डॉ० हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Scanned by CamScanner